

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) 'हैबियस कॉर्पस' एक लैटिन अभिव्यक्ति है, जिसका शाब्दिक अर्थ है- शरीर प्राप्त करना। यह रिट एक आदेश के रूप में प्रयुक्त होती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा हो तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पस्थित किया जाए, ताकि न्यायालय इस बात की जाँच कर सके कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे पर्याप्त कानूनी कारण हैं या नहीं और यदि नहीं हैं तो उसे कैद से मुक्त कराया जा सके। यह रिट सिर्फ राज्य के अधिकारियों और प्राधिकारियों को ही नहीं, प्राइवेट त्यों को भी संबोधित हो सकती है।

Art ⇒ 32

[संविधानिक उपचारों का अधिकार]
Right to Constitutional Remedies

≠ Art 32 DR. B. R. Ambedkar ⇒ [संविधान आत्मा
कहा है]

4 - याप का सुरता

Art 32 याचिका (Writ)] सर्वोच्च-पाठलय

→ Habeas Corpus - बंदी प्राप्तीकरण

HC = 226

→ Mandamus ⇒ परमादेश

→ Quo-warranto ⇒ अधिकार वरहा

→ Prohibition ⇒ प्रतिनि

→ Certiorari ⇒ अपे

Q) उच्च न्यायालय की शक्ति याचिका जारी करने में
सर्वोच्च न्यायालय से अधिक - ?

① SC — मौलिक F.R + (अन्य अधिकार)
HC —

① $32 \Rightarrow SC = 5$ प्रकार

②

$226 = RC \Rightarrow 6$ प्रकार

$= 6$ Injunction (अंतरिम राहत)

Habeas Corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण)

Bring the Body - स.शरीर पेश करना

⇒ पुलिस की अवैध गिरफ्तारी -

⇒ 24 घंटे में किसी व्यक्ति को न पेश होने.

⇒ व्यक्ति को बंदी बनाये जाने पर

प्रयोग किया
आता है

Note - यह प्राधिकार

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये है"

"Personal freedom"

(ii) Mandamus - परमादेश -

We. Command (हम आदेश देते हैं।)

परमादेश - परम - आदेश $\left\{ \begin{array}{l} \text{राष्ट्रपति} \\ \text{राज्यपाल} \end{array} \right\}$ जाब नहीं

इस याचिका को

लार्जजमिडु पद के खिलाफ.

राष्ट्रपति

राजपाल

⊗ Quo-Warranto - अधिकार प्रच्छा



वेद्यारिण्य की जांच करने के लिये.

• मित्री व्यक्ति के खिलाफ नहीं.

अज के खिलाफ नहीं - x

८३

→ बंदी प्रत्यक्षीकरण

→ परमादेश

→ अधिकार प्रत्या

→ P.A.S

न्यायिक रिट


Judicial

① Prohibition-प्रतिषेध ⇒ रोक दे (STOP)

उच्च न्यायालय - उपर का
- न्यायालय

SC → HC

* Certiorari - उपेक्षण.



Prohibition

↓ प्रतिषेध

Patna



रोक



∴

Certiorari - उपेक्षण > STJ and send to me

इस याचिका को भी उच्च-याचलय


और मामले को
रोक कर अपने पास
बुलाता है।

निम्न-याचलय
के विरुद्ध
जारी
करता है।

✓

), .

गंस दो शक्ति सेयवत



01

कुछ मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थितियाँ निम्नलिखित हैं-

यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वैध है अर्थात् उसे 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार गिरफ्तार किया गया है और अभी उसे गिरफ्तार हुए या तो 24 घंटे नहीं हुए हैं या 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।- यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में अभियुक्त (**Accused**) होने या दोष सिद्ध (**Convicted**) होने के कारण न्यायिक अभिरक्षा (**Judicial custody**) या कारावास में रखा गया है।

परमादेश (Mandamus) :- अंग्रेजी शब्द श्मैंडेमसश् का हिन्दी अनुवाद है- 'हम आदेश देते हैं'। यह रिट भी एक आदेश के रूप में होती है जिसका प्रयोग किसी लोक प्राधिकारी (**Public authority**) को आदेश देने के लिये किया जाता है, ताकि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करे जिसे पूरा करने से उसने इनकार किया है।

यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत का समाधान किसी वैकल्पिक उपचार के माध्यम से हो सकता है तो वह उसे ही वरीयता प्रदान करेगा।

परमादेश रिट जारी करने के लिये कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जैसे-

- प्रार्थी को सिद्ध करना होगा कि उसका कोई कानूनी अधिकार (**Legal right**) है, जिससे उसे वंचित किया जा रहा है।
- उसे यह भी सिद्ध करना होगा कि वह जिस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश रिट जारी करने का निवेदन कर रहा है, उसका कोई लोक कर्तव्य है जो संविधान या किसी अधिनियम (**Act**) या किसी अधीनस्थ विधान (**Subordinate legislation**) द्वारा उस पर आरोपित है।
- प्रार्थी को प्रमाणित करना होगा कि उसने अपने कानूनी अधिकार की उपलब्धि के लिये उक्त प्राधिकारी से निवेदन किया था, किंतु प्राधिकारी ने बिना किसी उचित आधार के काम करने से इनकार कर दिया है या इनकार तो नहीं किया है किंतु काम भी नहीं किया है।

3. प्रतिषेध (Prohibition):-

प्रतिषेध का अर्थ है- 'रोकना'। यह रिट न्यायपालिका से संबंधित है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के विरुद्ध तब निकाली जाती है, जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करता है या प्राकृतिक न्याय (Natural justice) के नियमों का उल्लंघन करता है। दूसरे शब्दों में, इस रिट का उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है।

4. उत्प्रेषण (Certiorari):-

उत्प्रेषण की रिट भी न्यायपालिका से संबंधित है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को बंधा संबंधित की जाती है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या निर्णय में प्राकृतिक नैसर्गिक न्याय (Natural justice) के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।

प्रतिषेध और उत्प्रेषण में मूल अंतर सिर्फ यह है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिये प्रतिषेध रिट जारी की जाती है; किंतु यदि अधीनस्थ न्यायालय अधिकारिता का उल्लंघन करके कोई निर्णय दे चुका है तो उस निर्णय और तत्संबंधी कार्यवाहियों को रद्द करने के लिये उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रतिषेध रिट किसी न्यायिक कार्यवाही के शुरुआती चरण में दी जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट न्यायिक कार्यवाही हो जाने के बाद।

अधिकार पृच्छा 'को वारंटा' का हिन्दी अनुवाद है, जिसका अर्थ है- 'आपका प्राधिकार क्या है?' न्यायालय इस रिट का प्रयोग एक कार्यवाही के रूप में करता है। यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसके संबंध में यह शिकायत की गई है कि उसने अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय उससे पूछता है कि उसने किस प्राधिकार से उक्त पद धारण किया हुआ है। यदि वह पर्याप्त कारण नहीं बता पाता है तो न्यायालय अधिकार पृच्छा रिट जारी करके उसे उस पद से हटा देता है और पद को रिक्त घोषित कर देता है।

अधिकार पृच्छा रिट तभी जारी हो सकती है, जब निम्नलिखित शर्तें अनिवार्यतः पूरी हों-

- जिस पद पर किसी व्यक्ति के अवैध अधिकार की शिकायत की गई है, वह सार्वजनिक पद (**Public office**) होना चाहिये।
- जिस पद पर प्रश्न उठाया गया है, वह स्वतंत्र प्रकृति (**Independent nature**) का पद होना चाहिये, अर्थात् किसी के प्रसाद (**Pleasure**) पर आधारित नहीं होना चाहिये।
- जो व्यक्ति उस पद पर आसीन है, उसकी नियुक्ति में संविधान या किसी अधिनियम इत्यादि का उल्लंघन हुआ हो।

अनुच्छेद-32 तथा अनुच्छेद 226 में अंतर

(Difference between Article -32 and Article - 226)

जिस तरह अनुच्छेद-32 में सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, उसी प्रकार अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है। इस मामले में उच्च न्यायालयों को प्राप्त शक्ति ज्यादा व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 'अन्य प्रयोजनों' (**Other purposes**) के लिये भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है।

1. मौलिक अधिकारों का संरक्षक है—
- (a) न्यायपालिका
 - (b) कार्यकारिणी
 - (c) संसद
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

U.P.P.C.S. (Mains) 2010

2. निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं?
- (a) संवैधानिक अधिकार
 - (b) सांविधिक अधिकार
 - (c) मौलिक अधिकार
 - (d) उपरोक्त सभी

U.P.P.C.S. (Pre) 1997

3. निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है ?
- (a) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
 - (b) संपत्ति का अधिकार
 - (c) समानता का अधिकार
 - (d) संवैधानिक उपचार का अधिकार

I.A.S. (Pre) 2002

U.P. P.S.C. (GIC) 2010

U.P.P.C.S. (Spl) (Mains) 2004

U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl) (Pre) 2010

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

कथन (A) : संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था।

कारण (R) : अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर

कूट :

(a) (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।

(b) (A) तथा (R) दोनों ही सही हैं, किंतु (A) का सही स्पष्टीकरण (R) नहीं है।

(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

U.P.P.C.S. (Pre) 2016

5. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न शरिट्श जारी करने का अधिकार रखता है ?
- (a) अनुच्छेद 32
 - (b) अनुच्छेद 132
 - (c) अनुच्छेद 33
 - (d) अनुच्छेद 226

Jharkhand P.C.S. (Mains) 2016

6. निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है ?
- (a) परमादेश
 - (b) बंदी प्रत्यक्षीकरण
 - (c) उत्प्रेषण
 - (d) प्रतिषेध

U.P. Lower Sub. (Pre) 2015

7. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है ?
- (a) परमादेश
 - (b) बंदी प्रत्यक्षीकरण
 - (c) अधिकार-पृच्छा
 - (d) प्रतिषेध

U.P.P.C.S. (Pre) (Re-Exam) 2015

8. निम्नांकित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?
- | | |
|------------------------|---------------------|
| (a) बंदी प्रत्यक्षीकरण | 'टू हैव दि बॉडी ऑफ |
| (b) परमादेश | 'वी कमाण्ड' |
| (c) प्रतिषेध | 'टू बी सर्टिफाइड' |
| (d) अधिकार पृच्छा | 'बाई व्हाट अथॉरिटी' |

U.P. P.C.S. (Pre) 2019

9. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी रिट (तपज) याचिका दायर की जा सकती है ?
- (a) मैन्डमस
 - (b) हैबियस कार्पस
 - (c) को-वारंटो
 - (d) सर्टिओरेरी

M.P.P.C.S. (Pre) 1993